

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232184  
SG-DL-E-28122021-232184

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 321
No. 393]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943	[N. C. T. D. No. 321

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार और कर विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

संख्या :Notification/ AE-I/DT&T/2021-22/11.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 2(91), धारा 5(1) और धारा 5(3) के साथ पठित धारा 167 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अंकुर गर्ग, आयुक्त, राज्य कर एतद्वारा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 73 और धारा 74 के तहत नीचे दी गई तालिका के संगत कॉलम (3) में निर्दिष्ट करदाताओं के संबंध में कॉलम (2) में निर्दिष्ट उचित अधिकारी (अधिकारियों) को शक्तियां करता हूँ, अर्थात् :-

क्रमांक (1)	उचित अधिकारी का नाम (2)	करदाता और जीएसटीआईएन का नाम (3)
1	श्री संदीप कुमार, माल और सेवा कर अधिकारी	मेसर्स रेकॉन एजेंसी प्रा. लि. (07AACCR6442G2ZE)

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 120 दिनों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

इसके अलावा, उपर्युक्त समय अवधि के दौरान, क्षेत्राधिकारी उचित अधिकारी कॉलम (3) में निर्दिष्ट करदाता(ओं) के संबंध में उपर्युक्त धाराओं के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

अंकुर गर्ग, आयुक्त, राज्य कर

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th December, 2021

**No. Notification/AE-I/DT&T/2021-22/11.**—In exercise of the powers conferred upon me under section 167 read with section 2(91), section 5(1) and section 5(3) of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (DELHI ACT 03 OF 2017), I, Ankur Garg, Commissioner, State Tax hereby confer powers under section 69, section 70, section 71, section 73 & section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (DELHI ACT 03 OF 2017) upon the Proper Officer(s) specified in column (2) with respect to the taxpayers specified in corresponding column (3) of the Table below, namely:-

<b>S. No.</b> <b>(1)</b>	<b>Name of the Proper Officer</b> <b>(2)</b>	<b>Name of Taxpayer &amp; GSTIN</b> <b>(3)</b>
1	Sh. Sandeep Kumar, GSTO	M/s Reckon Agencies Private Ltd. (GSTIN: 07AACCR6442G2ZE)

This notification shall remain in force for 120 days from the date of issuance or till further orders, whichever is earlier.

Further, during the above mentioned time period, jurisdictional Proper Officer shall not exercise any power under afore mentioned sections with respect to taxpayer(s) specified in column (3).

ANKUR GARG, Commissioner, State Tax